भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 142

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक)

पंजाब में रोज़गार सृजन और कौशल में कमी

142. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब में कौशल की कमी और श्रम बाज़ार की आवश्यकताओं का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पंजाब में केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत सृजित हुए रोज़गार का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा राज्य से कौशल प्राप्त युवाओं के पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पंजाब में रोज़गार बढ़ाने के लिए चिन्हित किए गए औद्योगिक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित जिला कौशल समितियों (डीएससी) को स्थानीय रोजगार के अवसरों, कौशल की मांग तथा उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना की पहचान करके विकेंद्रीकृत, जमीनी स्तर की कौशल योजना का समर्थन करने हेतु जिला कौशल विकास योजनाएँ (डीएसडीपी) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके बाद सरकारी कौशल कार्यक्रमों को तैयार किया जाता है ताकि इन क्षेत्रों में चिन्हित किए गए कौशल अंतराल को समाप्त किया जा सके। उद्योग विशेषज्ञों के नेतृत्व में संचालित क्षेत्र कौशल समितियां (एसएससी) नियमित रूप से कौशल अंतराल का अध्ययन करती हैं, ताकि क्षेत्रवार कौशल आवश्यकताओं का आकलन किया जा सके और ऐसे दक्षता मानक निर्धारित किए जा सकें जो कार्यबल को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए सरकार के निर्णयों का मार्गदर्शन करें। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद

(एनसीएईआर) द्वारा संकल्प (आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता) समर्थित राष्ट्रीय कौशल अंतर अध्ययन सात उच्च-विकास क्षेत्रों में कौशल अंतराल का आकलन करने के लिए एक मानकीकृत, डेटा-आधारित रूपरेखा प्रदान करता है। यह अध्ययन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) को उद्योग की मांग तथा भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास पहलों को संरेखित करने में सहायता करता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत, उद्योग-संबंधित कौशलों से युवाओं को सुसज्जित करने के लिए ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) सहित अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) तथा पूर्व शिक्षण कौशलों की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 में उभरते और नए युग के रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं। पीएमकेवीवाई के तहत, 31.10.2025 तक, 30 से अधिक क्षेत्रों में कुल 5,63,591 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है, जिसमें खेल क्षेत्र में 1,623, वस्त्र एवं हथकरघा क्षेत्र में 4,673 और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 6,521 अभ्यार्थी शामिल हैं।

युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब राज्य में केंद्र सरकार की चयनित योजनाओं के माध्यम से सृजित रोजगार का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के समन्वय से, रोजगार के अवसर सृजित करने तथा अवसंरचना में सुधार के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाएँ लागू कर रही है, ताकि लोग अपने ही राज्य में रहकर, अपने निवास स्थान के निकट आजीविका अर्जित कर सकें और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें।

पंजाब सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग ने राज्य से कुशल युवाओं के पलायन को रोकने के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे (i) पंजाब हुनर विकास योजना; (ii) सरकारी भर्तियाँ (01.04.2022 से पंजाब के युवाओं को 68,228 नियमित सरकारी नौकरियाँ प्रदान की गई हैं); (iii) निजी नौकरियों/सरकारी नौकरियों/स्वरोजगार की सुविधा के लिए जिला रोजगार एवं उद्यम ब्यूरो (डीबीईई) की स्थापना; (iv) एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (www.punjabrozgar.org.in) की स्थापना, जो नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए एक साझा मंच है; (v) विभिन्न संस्थानों के माध्यम से युवाओं को सशस्त्र बलों/अर्धसैनिक बलों/राज्य पुलिस सेवाओं में अधिकारी एवं सैनिक के रूप में भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण; (vi) पंजाब कौशल विकास मिशन (युवाओं को ऐसा

कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना जो अधिक प्रभावी एवं रोजगारोन्मुख हो); इत्यादि अनेक कदम उठाए हैं।

इसके अलावा, पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि कौशल अंतराल अध्ययनों तथा राज्य कौशल विकास योजनाओं के आधार पर, पंजाब में जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार क्षमता की पहचान की गई है, वे इस प्रकार हैं– (i) निर्माण (ii) विनिर्माण (जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र एवं परिधान, इंजीनियरिंग तथा ऑटो कंपोनेंट्स शामिल हैं), (iii) स्वास्थ्य सेवा (iv) लॉजिस्टिक्स, परिवहन एवं भंडारण (v) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ, (vi) खाद्य प्रसंस्करण, (vii) पर्यटन एवं आतिथ्य, (viii) सौंदर्य एवं वेलनेस, (ix) खुदरा (x) सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटी-सक्षम सेवाएँ, (xi) नवीकरणीय ऊर्जा (जिसमें सौर ऊर्जा शामिल है), (xii) जीवन विज्ञान तथा (xiii) बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ एवं बीमा (बीएफएसआई)।

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 20.07.2026 **के अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।**

पंजाब राज्य में केंद्रीय योजनाओं के तहत रोज़गार सृजन/लाभार्थी

क्र.सं.	**योजना/कार्यक्रम का नाम**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (खातों की संख्या)	10,39,309	7,07,516	7,17,442
2	प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) (लाभार्थियों की संख्या)	1,13,649	11,218	19,427
3	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (सृजित रोजगार की अनुमानित संख्या)	13,221	8,730	12,213
4	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) (रोजगार प्राप्त करने वाले कामगारों की संख्या)	10,15,694	9,84,897	8,88,478
5	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या)	8805	3560	817 *{अक्टूबर '25 तक 10.11.'25 की स्थिति के अनुसार (के बी)}*
6	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या)	9398	13274	5240 *(30.10.2025 तक)*
7	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) (कुशल प्रशिक्षित नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या)	11,550	648 *(30.09.24 तक)**	-

***योजना 30 सितंबर, 2024 को समाप्त हो गई।**

स्रोत: संबंधित मंत्रालय